



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 367]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 9, 2016/माघ 20, 1937

No. 367]

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 9, 2016/MAGHA 20, 1937

परमाणु ऊर्जा विभाग

आदेश

मुंबई, 15 दिसम्बर, 2015

का.आ. 428(अ).— पूर्व के ऐसे सभी आदेशों के अधिक्रमण में और परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 की धारा 27 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार एतद्वारा निदेशक, परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय (एएमडी), परमाणु ऊर्जा विभाग, भारत सरकार अथवा इस कार्यालय को सूचित करते हुए समय-समय पर निदेशक, एएमडी द्वारा यथा प्राधिकृत एएमडी के ऐसे अन्य अधिकारियों को परमाणु ऊर्जा (खान कार्यप्रणालियां, खनिज और विहित पदार्थ) नियम, 1984 के उद्देश्य हेतु उक्त अधिनियम की धारा 8 के अधीन प्रवेश एवं निरीक्षण के शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करती है।

[फा.सं.28/1/2015-ईआर]

प्रणय वर्मा, संयुक्त सचिव

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY ORDER

Mumbai, the 15th December, 2015

S.O. 428(E).—In supersession of all such previous orders and in exercise of the powers conferred by Section 27 of the Atomic Energy Act, 1962, the Central Government hereby authorises the Director, Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research (AMD) of the Department of Atomic Energy, Government of India or such other officers of the AMD as may be duly authorised by Director, AMD from time to time, under intimation to this office, to exercise the powers of entry and inspection under Section 8 of the said Act for the purposes of Atomic Energy (Working of Mines, Minerals and Prescribed Substances) Rules, 1984.

[F. No. 28/1/2015 – ER]

PRANAY VERMA, Jt. Secy.